BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. NO. 67/2024
WITH
ORIGINAL APPLICATION NO. 659/2023

IN THE MATTER OF:
ASHISH RAWAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

...RESPONDENT

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE MEMBER SECRETARY, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN PURSUANCE TO THE ORDER DATED 14.08.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL B ENCH, NEW DELHI.	
2.	THE COPY OF INSPECTION REPORT IS BEING ATTACHED HEREWITH AS **ANNEXURE-1**.	
3.	A COPY OF THE SAID LETTERS IS COLLECTIVELY BEING ATTACHED HEREWITH AS **ANNEXURE-2**.	
4.	THE LETTER BY GHAZIABAD NAGAR NIGAM DATED 27.09.2024 IS ATTACHED HEREWITH AS **ANNEXURE-3**.	
5.	A COPY OF THE SAID LETTER IS BEING ATTACHED HEREWITH AS **ANNEXURE-4.**	

6.	THE COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED 14.11.2024 IS BEING ATTACHED HEREWITH AS **ANNEXURE-5**.	
7.	A COPY OF THE LETTER DATED 25.11.2024 IS BEING ATTACHED HEREWITH AS **Annexure-6**.	

THROUGH

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR THE UPPCB
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 26.11.2024
PLACE: NEW DELHI

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. NO. 67/2024
WITH
ORIGINAL APPLICATION NO. 659/2023

<u>IN THE MATTER OF:</u>
ASHISH RAWAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

...RESPONDENT

<u>AFFIDAVIT ON BEHALF OF MEMBER SECRETARY, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN PURSUANCE TO THE ORDER DATED 14.08.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL B ENCH, NEW DELHI.</u>

I, Sanjeev Kumar Singh, aged about 38 years, S/o Shri Lal Sahab Singh, posted as Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear the present Affidavit.

Sk

2. That the deponent has taken over as Member Secretary of Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB) on 21.12.2023.

3. That present matter is about illegal use of public park/utility by Respondent No 7 located at plot no A-46 Kadkad Model, Industrial Area, Sahibabad Ghaziabad U.P. In pursuant to the order dated 30.10.2023 passed by this Hon'ble Tribunal, UPPCB had filed action taken report vide e-mail dated 21.12.2023, stating that the activity is now over and no evidence of the use of park found for the commercial purposes i.e. circus and fair.

4. That further this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 14.08.2024 has passed the following directions:

> *"...3. In pursuance of the aforesaid direction the Member Secretary, UPPCB was required to take necessary action for restoration of park and take action against the person responsible for causing the damage to the park. In the report submitted by Member Secretary, UPPCB there is no mention about the damages if caused to the park and*

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) Regn- 10943/15 Ex. Dt. 28-01-2025 GOVT. OF INDIA

Sk

restoration/protection of the park and the action taken against the person responsible causing damage to the park.

4. Learned counsel for the UPPCB seeks two week time to file a fresh report. We direct the Member Secretary, UPPCB to appear virtually on the next date of hearing and explain as to why the order of the Tribunal dated 30.10.2023 has not been complied..."

5. That in compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal, the Deponent has taken reparative actions in accordance with the directions issued by the Tribunal vide Order dated 30.10.2023. The Deponent humbly apologizes for any delay or oversight in implementing the Tribunal's directives and has now undertaken the following steps as directed by the Hon'ble Tribunal, as outlined below.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) Regn- 10943/15 Ex. Dt-28-04-2025 GOVT. OF INDIA

6. That in compliance to the directions given by the Hon'ble Tribunal dated 14.08.2024, the officials of the UPPCB conducted the inspection of the park in question on 28.08.2024. The status of park as mentioned in attached report is given below:-

   a) That the park earmarked in the name of Ramlila Park situated at village Kadkad Model, Sahibabad Ghaziabad.

Sk

b) That the jogging track in the park was found broken at some places.

c) That maintenance of park was not satisfactory.

d) That solid waste found (daily-used items) like plastic, wrapper etc., inside the park and near the boundary wall.

e) That five (5) coppice wood (trees) were found fallen in the park but no evidence of cutting was observed.

f) That there was a mis-management of municipal solid waste found in park and near the boundary wall of entry gate.

The copy of inspection report is being attached herewith as **ANNEXURE-1**.

7. That having regard to damage caused to the said park, letters dated 28.08.2024, 20.09.2024 and 01.10.2024 respectively were issued by the UPPCB to Ghaziabad Nagar Nigam with request to provide the information regarding the persons responsible for causing damage to the park and action plan for beautification/restoration of the park.

A copy of the said letters is collectively being attached herewith as **ANNEXURE-2**.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn- 10943/ ED-28.01.2025 GOVT. OF INDIA

Sk

8. That in response to abovementioned letters, the Ghaziabad Nagar Nigam vide its letter dated 27.09.2024 has provided the information which is being attached herewith as **ANNEXURE-3.**

9. Furthermore, it is pertinent to mention here that vide its letter dated 27.09.2024, Ghaziabad Nagar Nigam has not provided any relevant information, wherefore, another letter was again issued by the UPPCB to Ghaziabad Nagar Nigam on 04.10.2024. A copy of the said letter is being attached herewith as **ANNEXURE-4.**

10. That further in pursuance to the information provided by the Ghaziabad Nagar Nigam, the officials of the UPPCB has again inspected the park in question on 14.11.2024 and found no prompt action and effective solution has been made by the Ghaziabad Nagar Nigam regarding the discrepancies as mentioned in the inspection report dated 28.08.2024. The copy of the inspection report dated 14.11.2024 is being attached herewith as **ANNEXURE-5**.

11. That it is humbly submitted that in the respective inspections of park in question by the officials of UPPCB, no evidence of use of the park for commercial purposes was observed and could not identified any person responsible for causing the damage to the said park.

12. That further despite several letters issued, Ghaziabad Nagar Nigam has never disclosed a reason regarding damage to the park as well as beautification/restoration of the park. In view of the continuous negligence by Ghaziabad Nagar Nigam, this Hon'ble Tribunal may graciously and kindly be pleased to direct the authority concern for restoration of the park.

13. That in pursuance to the continuous negligence done by Ghaziabad Nagar Nigam, UPPCB vide its letter dated 25.11.2024 has issued a direction under Section-5 of Environment (Protection) Act, 1986.

    A copy of the letter dated 25.11.2024 is being attached herewith as **Annexure-6**.

14. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow GOVT. OF INDIA

26/11

15. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

Sk

DEPONENT

VERIFICATION

NOTARY NOTARY

Verified at Lko on this 26 day of November, 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Sk
DEPONENT

Sworn and Verified before me.
26/11/24
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10943/18

NOTARY
NOORJAHAN
GOVT. OF INDIA
26/11/24

I know & Identify the deponent / Executed who has signed / put his T.I. before me
Adv
S. J. Iqbal Advocate
Reg. No. 6043/1999
Adv. Lko

Annexure-I8

ANNEXURE-1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित (एम0ए0 संख्या 67/2024) ओ0ए0 संख्या 659/2023 आशीष रावल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मे पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक याचिकाकर्ता श्री आशीष रावल द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित (एम0ए0 संख्या 67/2024) ओ0ए0 संख्या 659/2023 आशीष रावल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भूखण्ड संख्या ए–46, ग्राम कड़कड़ मॉडल साईट–4 औधोगिक क्षेत्र, साहिबाबाद गाजियाबाद पर स्थित पार्क की भूमि पर ठेकेदार श्री कृष्णकान्त राघव पुत्र स्व0 श्री हुकुम सिंह, निवासी 284, कड़कड़ मॉडल साईट–4 साहिबाबाद, पुलिस स्टेशन, लिंक रोड, गाजियाबाद द्वारा सर्कस व मेला का आयोजन अवैध रूप से किये जाने के कारण हुई पार्क की क्षति हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं प्रश्नगत पार्क का जीर्णोउधार किये जाने सम्बन्धी दाखिल की गयी है। उक्त वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है:–

"....3. In pursuance of the aforesaid direction the Member Secretary, UPPCB was required to take necessary action for restoration of park and take action against the person responsible for causing the damage to the park. In the report submitted by Member Secretary, UPPCB there is no mention about the damages if caused to the park and restoration/protection of the park and the action taken against the person responsible causing damage to the park.

4. Learned counsel for the UPPCB seeks two week time to file a fresh report. We direct the Member Secretary, UPPCB to appear virtually on the next date of hearing and explain as to why the order of the Tribunal dated 30.10.2023 has not been complied.

5. List on 27.11.2024. ...."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन मे अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 28.08.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य् निम्नवत है:–

1. उक्त वाद में याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के साथ प्रश्नगत स्थल के फोटोग्राफ संलग्न किये गये है, जो "रामलीला पार्क" ग्राम कड़कड़ मॉडल साहिबाबाद गाजियाबाद के है, जो नगर निगम, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है (पार्क के जियो कार्डिनेट Lat. 28.66752, Long. 77.344753 है)।
2. उक्त पार्क के मुख्य द्वार पर लगे सूचना पट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार उक्त पार्क के सौन्दर्यकरण का कार्य श्री रामलीला कमेटी राम लीला पार्क, कडकड मॉडल, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2021–22 में किया जाना अंकित है।
3. पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के समीप वाकिंग पाथ स्थित है, जो कि विभिन्न जगहों पर क्षतिग्रस्त पाया गया।
4. पार्क के मैन गेट के समीप बाउण्ड्रीवाल से लगा हुआ मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेन्टर स्थापित है, जो नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट अव्यवस्थित रूप से भरा हुआ पाया गया तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा स्थल पर अपशिष्ट के पृथकीकरण का कार्य किया जाता पाया गया।
5. उक्त पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के किनारे जगह–जगह पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्र/डम्प पाया गया तथा साफ–सफाई व्यवस्था उचित नही पाई गई।
6. पार्क मे चारो ओर बाउण्ड्रीवाल के किनारे वृक्ष लगे है, जिनमें लगभग 05 वृक्ष सूखे हुई अवस्था मे गिरे पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित स्थानीय निवासियों द्वारा संज्ञानित किया गया कि उक्त वृक्ष प्राकृतिक रूप से वर्षा ऋतु के दौरान गिर गये है एवं मौके पर वृक्षो को काटने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नही पाये गये।
7. वर्तमान परिदृश्य मे उक्त पार्क का रख–रखाव संतोषजनक स्थिति मे नही है।
8. स्थानीय निवासियो से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्नगत पार्क मे विगत वर्ष मे दशहरा पर्व के अवसर मे सर्कस व मेले का आयोजन किया गया था, अतएव वर्तमान परिदृश्य मे याचिकाकर्ता द्वारा योजित ओ0ए0 मे वर्णित आरोपों की सत्यता के सम्बन्ध मे कार्यालय के पत्रांक

1845 / एनजीटी–198 / 2023 दिनांक 28.12.2023 पत्रांक 2237 / एनजीटी–198 / 2024 दिनांक 09. 02.2024 एवं 2286 / एनजीटी–198 / ओ0ए0–659 / 2023 / 2023 दिनांक 16.02.2024 (उक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रतियॉ संलग्न है) के द्वारा नगर निगम के टिप्पणी चाही गयी थी, जिसका प्रतिउत्तर इस कार्यालय मे अप्राप्त है।

9. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्वत है:–

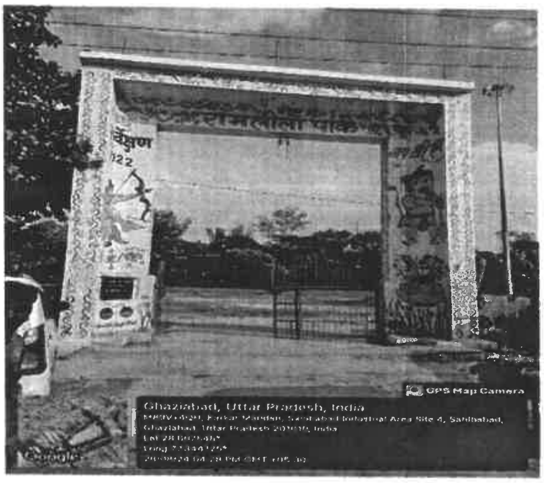

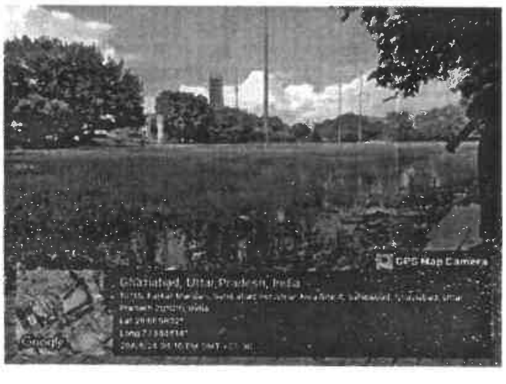

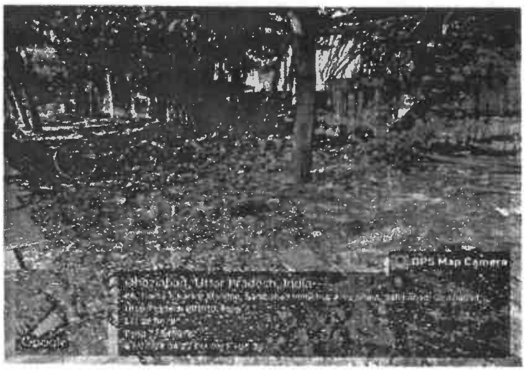

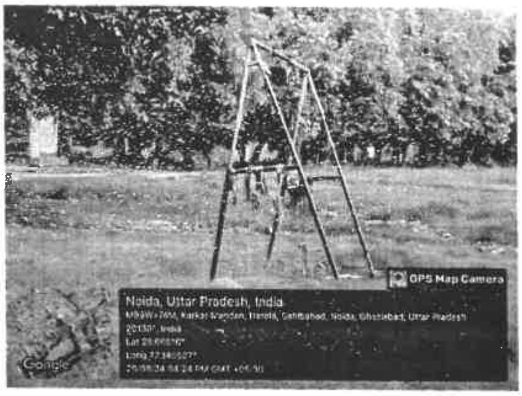

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत पार्क मे मेले के आयोजन हेतु नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा दी गयी अनुमति/स्वीकृति के सम्बन्ध मे विवरण, उक्त पार्क के जीर्णोद्धार/रख–रखाव हेतु नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा पूर्व मे विभिन्न मदो मे किये गये व्ययों का विवरण तथा प्रस्तावित कार्ययोजना का विवरण प्राप्त किये जाने हेतु नगर निगम, गाजियाबाद का प्रेषित पत्र का आलेख पत्रावली मे संलग्नकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(अंशुल शर्मा)
सहायक पर्यावरण अभियंता

(विपुल कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure- II

ANNEXURE- 2

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1225 /N67-194 /2024 दिनांक 29/8/2024

सेवा में, मा0 एनजीटी प्रकरण/महत्वपूर्ण

नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित (एम0ए0 संख्या 67/2024) ओ0ए0 संख्या 659/2023 आशीष रावल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मे पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। अवगत कराना है कि याचिकाकर्ता श्री आशीष रावल द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित (एम0ए0 संख्या 67/2024) ओ0ए0 संख्या 659/2023 आशीष रावल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भूखण्ड संख्या ए–46, ग्राम कड़कड़ मॉडल साईट–4 औधोगिक क्षेत्र, साहिबाबाद गाजियाबाद पर स्थित पार्क की भूमि पर ठेकेदार श्री कृष्णकान्त राघव पुत्र स्व0 श्री हुकुम सिंह, निवासी 284, कड़कड़ मॉडल साईट–4 साहिबाबाद, पुलिस स्टेशन, लिंक रोड, गाजियाबाद द्वारा सर्कस व मेला का आयोजन अवैध रूप से किये जाने के कारण हुई पार्क की क्षति हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं प्रश्नगत पार्क का जीर्णोउधार किये जाने सम्बन्धी याचिका मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित की गयी है। उक्त वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत हैः–

"...3. In pursuance of the aforesaid direction the Member Secretary, UPPCB was required to take necessary action for restoration of park and take action against the person responsible for causing the damage to the park. In the report submitted by Member Secretary, UPPCB there is no mention about the damages if caused to the park and restoration/protection of the park and the action taken against the person responsible causing damage to the park.

4. Learned counsel for the UPPCB seeks two week time to file a fresh report. We direct the Member Secretary, UPPCB to appear virtually on the next date of hearing and explain as to why the order of the Tribunal dated 30.10.2023 has not been complied.

5. List on 27.11.2024. ...."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन मे इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.08.2024 को प्रश्नगत स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य निम्नवत हैः–

1. प्रश्नगत वाद में याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के साथ प्रश्नगत स्थल के फोटोग्राफ संलग्न किये गये है, जो "रामलीला पार्क" ग्राम कड़कड़ मॉडल साहिबाबाद गाजियाबाद के है। पार्क के जियो कार्डिनेट Lat. 28.66752, Long. 77.344753 है, जो नगर निगम, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है।
2. उक्त पार्क के मुख्य द्वार पर लगे सूचना पट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार उक्त पार्क के सौन्दर्यकरण का कार्य श्री रामलीला कमेटी राम लीला पार्क, कड़कड मॉडल, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2021–22 में किया जाना अंकित है।
3. पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के समीप वाकिंग पाथ स्थित है, जो कि विभिन्न जगहों पर क्षतिग्रस्त पाया गया।
4. पार्क के मैन गेट समीप बाउण्ड्रीवाल से लगा हुआ मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेन्टर स्थापित है, जो नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट अव्यवस्थित रूप से भरा हुआ पाया गया तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा अपशिष्ट को पृथकीकरण का कार्य किया जाता पाया गया।

कृ0प्र0उ0

5. उक्त पार्क पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के किनारे जगह-जगह पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्र/डम्प पाया गया।
6. पार्क मे चारो ओर बाउण्ड्रीवाल के किनारे वृक्ष लगे है, जिनमें लगभग 05 वृक्ष सूखे हुई अवस्था मे गिरे पाये गये।
7. वर्तमान परिदृश्य मे उक्त पार्क का रख-रखाव संतोषजनक स्थिति मे नही है।
8. स्थानीय निवासियो से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्नगत पार्क मे विगत वर्ष मे दशहरा पर्व के अवसर मे सर्कस व मेले का आयोजन किया गया था, अतएव ऐसी स्थिति मे याचिकाकर्ता द्वारा योजित ओ0ए0 मे वर्णित आरोपों की सत्यता के सम्बन्ध मे कार्यालय के पत्रांक 1845/एनजीटी-198/2023 दिनांक 28.12.2023 पत्रांक 2237/एनजीटी-198/2024 दिनांक 09.02.2024 एवं 2286/एनजीटी-198/ओ0ए0-659/2023/2023 दिनांक 16.02.2024 (उक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न है) के द्वारा नगर निगम के टिप्पणी चाही गयी थी, जिसका प्रतिउत्तर इस कार्यालय मे अप्राप्त है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत पार्क मे मेले के आयोजन किये जाने के सम्बन्ध मे नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा दी गयी अनुमति/स्वीकृति तथा मेले के आयोजन से पार्क मे हुई क्षति सम्बन्धी विवरण एवं उक्त पार्क के जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्तावित कार्ययोजना सहित विवरण इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे, जिससे कि तदनुसार मा0 अधिकरण के समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट ससमय दाखिल की जा सके।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. आयोजक श्री कृष्णकान्त राघव पुत्र स्व0 श्री हुकुम सिंह, निवासी 284, कड़कड़ मॉडल साईट-4 साहिबाबाद, पुलिस स्टेशन, लिंक रोड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि याचिकाकर्ता द्वारा मेले के आयोजन के सम्बन्ध मे वर्णित आरोपों के सम्बन्ध मे स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रदत्त विभागीय अनुमत्तियों/स्वीकृति सहित अपना पक्ष 03 दिन के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1595 / NGT 194 /2024 दिनांक 26/09/2024

अनुस्मारक
मा0 एनजीटी प्रकरण / महत्वपूर्ण

सेवा में,

नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित (एम0ए0 संख्या 67/2024) ओ0ए0 संख्या 659/2023 आशीष रावल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 1275/एनजीटी–194/2024 दिनांक 29.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि याचिकाकर्ता श्री आशीष रावल द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित (एम0ए0 संख्या 67/2024) ओ0ए0 संख्या 659/2023 आशीष रावल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भूखण्ड संख्या ए–46, ग्राम कड़कड़ मॉडल साईट–4 औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद गाजियाबाद पर स्थित पार्क की भूमि पर ठेकेदार श्री कृष्णकान्त राघव पुत्र स्व0 श्री हुकुम सिंह, निवासी 284, कडकड मॉडल साईट–4 साहिबाबाद, पुलिस स्टेशन, लिंक रोड, गाजियाबाद द्वारा सर्कस व मेला का आयोजन अवैध रूप से किये जाने के कारण हुई पार्क की क्षति हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं प्रश्नगत पार्क का जीर्णोद्धार किये जाने सम्बन्धी याचिका मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित की गयी है। उक्त वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है:–

"....3. In pursuance of the aforesaid direction the Member Secretary, UPPCB was required to take necessary action for restoration of park and take action against the person responsible for causing the damage to the park. In the report submitted by Member Secretary, UPPCB there is no mention about the damages if caused to the park and restoration/protection of the park and the action taken against the person responsible causing damage to the park.

4. Learned counsel for the UPPCB seeks two week time to file a fresh report. We direct the Member Secretary, UPPCB to appear virtually on the next date of hearing and explain as to why the order of the Tribunal dated 30.10.2023 has not been complied.

5. List on 27.11.2024. ...."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.08.2024 को प्रश्नगत स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य निम्नवत है:–

1. प्रश्नगत वाद में याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के साथ प्रश्नगत स्थल के फोटोग्राफ संलग्न किये गये है, जो "रामलीला पार्क" ग्राम कड़कड़ मॉडल साहिबाबाद गाजियाबाद के है। पार्क के जियो कार्डिनेट Lat. 28.66752, Long. 77.344753 है, जो नगर निगम, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है।
2. उक्त पार्क के मुख्य द्वार पर लगे सूचना पट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार उक्त पार्क के सौन्दर्योकरण का कार्य श्री रामलीला कमेटी राम लीला पार्क, कडकड मॉडल, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2021–22 में किया जाना अंकित है।
3. पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के समीप वाकिंग पाथ स्थित है, जो कि विभिन्न जगहों पर क्षतिग्रस्त पाया गया।
4. पार्क के मैन गेट समीप बाउण्ड्रीवाल से लगा हुआ मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेन्टर स्थापित है, जो नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट अव्यवस्थित रूप से भरा हुआ पाया गया तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा अपशिष्ट के पृथक्कीकरण का कार्य किया जाता पाया गया।

5. उक्त पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के किनारे जगह–जगह पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्र/डम्प पाया गया।
6. पार्क मे चारो ओर बाउण्ड्रीवाल के किनारे वृक्ष लगे है, जिनमें लगभग 05 वृक्ष सूखे हुए अवस्था मे गिरे पाये गये।
7. वर्तमान परिदृश्य मे उक्त पार्क का रख–रखाव संतोषजनक स्थिति मे नही है।
8. स्थानीय निवासियो से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्नगत पार्क मे विगत वर्ष मे दशहरा पर्व के अवसर पर सर्कस व मेले का आयोजन किया गया था, अतएव ऐसी स्थिति मे याचिकाकर्ता द्वारा योजित ओ0ए0 मे वर्णित आरोपों की सत्यता के सम्बन्ध मे कार्यालय के पत्रांक 1845/एनजीटी–198/2023 दिनांक 28.12.2023 पत्रांक 2237/एनजीटी–198/2024 दिनांक 09.02.2024 एवं 2286/एनजीटी–198/ ओ0ए0–659/2023/2023 दिनांक 16.02.2024 (उक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रतियॉं संलग्न है) के द्वारा नगर निगम की टिप्पणी चाही गयी थी, जिसका प्रतिउत्तर इस कार्यालय मे अप्राप्त है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका की प्रति संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय द्वारा अद्यतन निरीक्षण दिनांक 28.08.2024 के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण पर वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय के पत्रांक 1275/एनजीटी–194/2024 दिनांक 29.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था, जो कि अभी तक अप्राप्त है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रश्नगत पार्क में मेले के आयोजन किये जाने के सम्बन्ध मे नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रदत्त अनुमति/स्वीकृति तथा मेले के आयोजन से पार्क मे हुई क्षतिसम्बन्धी विवरण एवं उक्त पार्क के जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्तावित कार्ययोजना सहित विवरण इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि तदनुसार मा0 अधिकरण के समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट ससमय दाखिल की जा सके।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. आयोजक श्री कृष्णकान्त राघव पुत्र स्व0 श्री हुकुम सिंह, निवासी 284, कड़कड़ मॉडल साईट–4 साहिबाबाद, पुलिस स्टेशन, लिंक रोड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि याचिकाकर्ता द्वारा मेले के आयोजन के सम्बन्ध में वर्णित आरोपों के सम्बन्ध मे स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रदत्त विभागीय अनुमतियॉं/स्वीकृति सहित अपना पक्ष 03 दिन के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4180108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: एच 18145/सी–1/NGT-230/2024 दिनांक: 01/10/2024

सेवा में,

मा. एन.जी.टी./महत्वपूर्ण/समयबद्ध

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाज़ियाबाद।

विषय: मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित (एम.ए. संख्या: 67/2024), ओ.ए. संख्या: 659/2023 आशीष रावल बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाज़ियाबाद के पत्र संख्या: 1495/एन.जी.टी. –194/2024, दिनांक: 20.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। क्षेत्रीय अधिकारी, गाज़ियाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि याचिकाकर्ता श्री आशीष रावल द्वारा मा. एन.जी.टी. के समक्ष योजित (एम.ए. संख्या: 67/2024), ओ. ए. संख्या: 659/2023 आशीष रावल बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश में भूखण्ड संख्या: ए–46, ग्राम– कड़कड़ मॉडल साईट–4 औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद पर स्थित पार्क की भूमि पर ठेकेदार श्री कृष्णकांत राघव पुत्र स्व0 श्री हुकुम सिंह, गाज़ियाबाद द्वारा सर्कस व मेला का आयोजन अवैध रूप से किये जाने पर पार्क को हुई क्षति हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं प्रश्नगत पार्क का जीर्णोद्धार किये जाने संबंधी याचिका (एम.ए.) मा0 एन.जी.टी. के समक्ष योजित की गयी है, जिसके संबंध में मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिनांक: 14.08.2024 को आदेश पारित किया गया है। मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित M.A. No. 67/2024 In (Original Application No. 659/2023) Ashish Rawal Versus State of Uttar Pradesh के संबंध में पारित आदेश दिनांक–14.08.2024, के सुसंगत अंश निम्नवत है:–

"........3. In pursuance of the aforesaid direction the Member Secretary, UPPCB was required to take necessary action for restoration of park and take action against the person responsible for causing the damage to the park. In the report submitted by Member Secretary, UPPCB there is no mention about the damages if caused to the park and restoration/protection of the park and the action taken against the person responsible causing damage to the park.

4. Learned counsel for the UPPCB seeks two week time to file a fresh report. We direct the Member Secretary, UPPCB to appear virtually on the next date of hearing and explain as to why the order of the Tribunal dated 30.10.2023 has not been complied.

7. List on 27.11.2024."

क्षेत्रीय अधिकारी, गाज़ियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त पारित आदेश के अनुपालन हेतु पुनः प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण दिनांक: 28.08.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, गाज़ियाबाद द्वारा किये गये निरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में पत्र संख्या: 1275/एन.जी.टी.–194/2024, दिनांक: 29.08.2024 एवं पत्र संख्या: 1494/एन.जी.टी.–194/2024, दिनांक: 20.09.2024 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, गाज़ियाबाद को प्रश्नगत पार्क में मेले के आयोजन से पार्क में हुई क्षति संबंधी विवरण एवं उक्त पार्क के जीर्णोद्धार किये जाने के संबंध में प्रस्तावित कार्ययोजना सहित विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न), जिसका प्रतिउत्तर अद्यतन तक अप्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक: 14.08.2024 के अनुपालन हेतु वांछित सूचनाएं प्रेषित कराने का कष्ट करें, जिससे मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन ससमय कराया जा सके। प्रकरण महत्वपूर्ण है एवं मा. अधिकरण के समक्ष अग्रिम सुनवाई तिथि–27.11.2024 नियत है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

टी.सी. -12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Annexure – III 16

ANNEXURE- 3

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाषः 0120-2790425, 2713580

ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 115/न0आ0/2024-25

दिनांकः 27/09/2024

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

विषयः- <u>माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित/विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-659/2023 आशीष रावल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-14.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वीकीय कार्यालय पत्र संख्या-1275/एन0जी0टी0-194/2024 दिनांक-29.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आप द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेश दिनांक-14.08.2024 के अनुपालन हेतु पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर मा0 अधिकरण के समक्ष उत्तर दाखिल किये जाने हेतु आख्या चाही गयी थी।

उपरोक्त मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-14.08.2024 व पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में नगर निगम से सम्बन्धित आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है। तदानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

<u>संलग्नः-यथोक्त</u>

27.9.24

(अरूण कुमार यादव)
अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी महोदय गाजियावाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।

Scanned by CamScanner

4166 23/9/24 ST-1591 20/9/24 23/9/24

जोनल कार्यालय–वसुन्धरा, गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक–220 /कर अधी0/ 2022–23, दिनांक : 18/09/24

नगर आयुक्त महोदय

कृपया स्वकीय कार्यालय पत्रांक–108/न0आ0/2023–24 दिनांक 11.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित/निस्तारित ओ0ए0 सं0–659/2023 आशीष रावल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में वाद का सम्बन्ध प्लाट सं0–ए–46 कड़कड़ मॉडल औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद स्थित पार्क में सर्कस/मेले के आयोजन हेतु पार्क में स्थित पेडों को काटे जाने तथा स्थल पर मशीन, झूले व टैन्ट इत्यादि लगाये जाने तथा वहां स्थित शौचालय के आउटलेट द्वारा बिना शोधित सीवरेज सीधे साहिबाबाद ड्रेन व हिण्डन नदी में डाले जाने के सम्बन्ध में 04 बिन्दुओं पर अपने–अपने विभाग से आच्छादित बिन्दुओं पर आख्या 03 दिवस में उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि पत्र में उल्लेखित 04 बिन्दुओं में से बिन्दु सं0–04 अधोहस्ताक्षरी से सम्बंधित दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है, कि जोनल स्तर पर किसी भी पार्क में किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमती नहीं दी जाती है। आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

18/9/24

जोनल प्रभारी–वसुन्धरा जोन
गाजियाबाद नगर निगम

AMC/ वरि विधि प्रभारी
कृ आ0 का0 करें।
नगर आयुक्त 20/09/24

प्रभारी विधि
प्रभारी उद्यान
कृ नि0 आ0 का0 करें

8248 21/9/24

विधि अधीक्षक
कृ नि0का0 आ0 करें

23/9/24

23/9/24

Scanned by CamScanner

उद्यान प्रभारी/अपर नगर आयुक्त महोदय,

कृपया कार्यालय नगर आयुक्त महोदय के पत्रांक संख्या 108/न0आ0/2023–24 दिनांक 11.09.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जोकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित/विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–659/2023 आशीष रावल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध मे बिन्दुबार विवरण निम्नवत है:–

बिन्दु संख्या–01 उद्यान विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

बिन्दु संख्या–02 कड़कड़ मॉडल साईड–01 औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद स्थित पार्क का विकास एवं रख–रखाव का कार्य **अमृत योजना** के अन्तर्गत निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जानकारी निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्नगत पार्क के अन्दर फुटपाथ और चारदीवारी के बीच लगे हुये वृक्षो जिसमे 05 वृक्ष सूखे अव्यस्था मे थें उन्हें उद्यान विभाग द्वारा पार्क से हटवा दिया गया है।

बिन्दु संख्या–03 उद्यान विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

बिन्दु संख्या–04 किसी भी आयोजन के सम्बन्ध मे उद्यान विभाग द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रस्तुत है।

17/9/24
उद्यान पर्यवेक्षक

वरि. उद्यान अधीक्षक
गाजियाबाद नगर निगम

17.9.24 उद्यान लिपिक
गाजियाबाद नगर निगम

17/9/24 उद्यान प्रभारी
गाजियाबाद नगर निगम

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

Scanned by CamScanner

विधि अधिक्षक

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित/विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–659/2023 आशीष रावल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–14–08–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित/निस्तारित ओ0ए0 संख्या–659/2023 आशीष रावल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में वाद का सम्बन्ध प्लॉट संख्या–ए–46, कड़कड़ मॉडल साईट–01 औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद स्थित पार्क में सर्कस/मेले के आयोजन हेतु पार्क में स्थित पेड़ों को काटे जाने तथा स्थल पर मशीन, झूले व टैन्ट इत्यादि लगाये जाने तथा वहाँ स्थित शौचालय के आउटलेट द्वारा बिना शोधित सीवरेज सीधे साहिबाबाद ड्रेन व हिण्डन नदी में डाले जाने के सम्बन्ध में योजित की गयी है, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय संदर्भ संख्या–1275/एन0जी0टी0–194/2024 दिनांक– 28–08–2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नवत् बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

01	• प्रश्नगत वाद में याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के साथ प्रश्नगत स्थल के फोटोग्राफ संलग्न किये गये है, जो "रामलीला पार्क" ग्राम कड़कड़ मॉडल साहिबाबाद गाजियाबाद के है। पार्क के जियो कार्डिनेट Lat-28.66752, Long-77.344753 है, जो नगर निगम गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। • उक्त पार्क गाजियाबाद नगर निगम को कब हस्तान्तरित हुआ।	• उक्त पार्क गाजियाबाद नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। • उक्त पार्क गाजियाबाद नगर निगम को हस्तान्तरण के सम्बंध में निर्माण विभाग में अभिलेख उपलब्ध नही है।
02	• उक्त पार्क के मुख्य द्वार पर लगे सूचना पट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार उक्त पार्क के सौन्दर्यकरण का कार्य श्री रामलीला कमेटी रामलीला पार्क, कड़कड़ मॉडल, साहिबाबाद, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2021–22 में किया जाना अंकित है। • पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवॉल के समीप वाकिंग पाथ स्थित है, जो कि विभिन्न जगहों पर क्षतिग्रस्त पाया गया। • पार्क में चारो ओर बाउण्ड्रीवॉल के किनारे वृक्ष लगे है, जिनमें लगभग 05 वृक्ष सूखे हुये अवस्था में गिरे पाये गये। • वर्तमान परिदृश्य में उक्त पार्क का रख–रखाव संतोषजनक स्थिति में नहीं है।	• उक्त पार्क किसी भी कमेटी द्वारा विकसित नही किया गया वही नगर निगम द्वारा इस प्रकार का कोई बोर्ड वहाँ नही लगाया गया है। • पार्क के अन्दर बाउन्ड्रीवाल के समीप वॉकिंग पथ नगर निगम द्वारा वर्ष–2019–20 में बनाया गया था। • उपरोक्त बिन्दु उधान विभाग से सम्बंधित है। • प्रश्नगत पार्क का कार्य अमृत योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त के सापेक्ष सिविल कार्य कराया गया था, वर्तमान में इसके लिए कोई धनराशि अवमुक्त नही की गयी।
03	पार्क में मैन गेट समीप बाउण्ड्रीवॉल से लगा हुआ मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सैन्टर स्थापित है, जो नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट अव्यवस्थित रूप से भरा हुआ पाया गया तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा अपशिष्ट को पृथकीकरण का कार्य किया जाता पाया गया है। उक्त पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवॉल के किनारे जगह–जगह पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्र डम्प पाया गया।	स्वास्थ्य विभाग से सम्बंधित है।
04	स्थानीय निवासियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्नगत पार्क में विगत वर्ष में दशहरा पर्व के अवसर में सर्कस व मेले का आयोजन किया गया था।	उक्त बिन्दु जोनल प्रभारी वसुन्धरा से सम्बन्धित है।

अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद नगर निगम

Scanned by CamScanner

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित/विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–659/2023 आशीष रावल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित बिन्दु संख्या–03 के कम में आख्या।

<table>
<tr>
<td>03</td>
<td>• पार्क के मैन गेट के समीप बाउण्ड्रीवाल से लगा हुआ मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेन्टर स्थापित है, जो नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट अव्यवस्थित रूप से भरा हुआ पाया गया तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा अपशिष्ट को पृथकीकरण का कार्य किया जाता पाया गया।

• उक्त पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के किनारे जगह–जगह पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्र डम्प पाया गया।</td>
<td>• अवगत कराना है कि उक्त स्थल पर मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेन्टर स्थापित नहीं है। उक्त स्थल पर द्वितीयक कूडा संग्रहण केन्द्र स्थापित है जहां से प्रतिदिन पडने वाले कूडे को नियमित रूप से उठाने के पश्चात ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव कराया जाता है, जिसके सम्बन्ध में फोटोग्राफ संलग्न है।

• पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के किनारे जगह–जगह पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्र डम्प पाया गया, को उठवा दिया गया है।</td>
<td>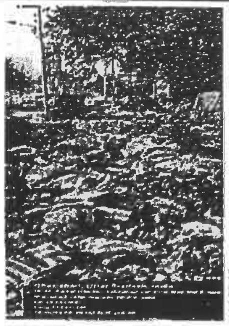

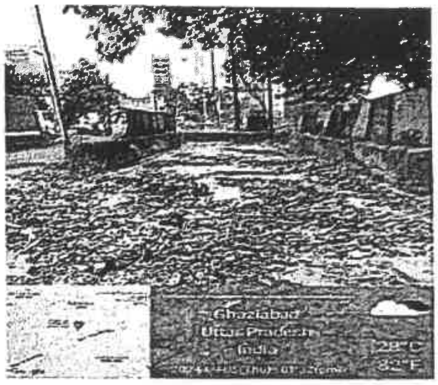

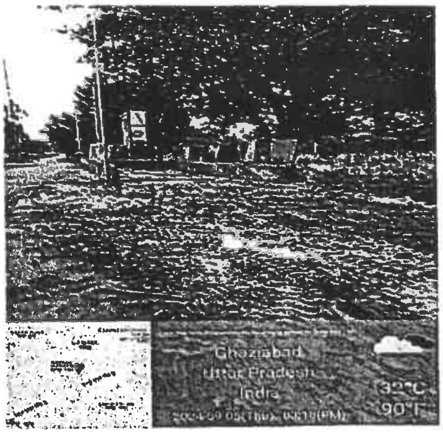
</td>
</tr>
</table>

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
वसुन्धरा जोन

20/09/24
मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
(ट्रान्स हिण्डन क्षेत्र)

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1584/NGT-194/2024 दिनांक 04/10/2024

सेवा में,

नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 659/2023 आशीष रावल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या 18145/सी–1/एन0जी0टी0–230/2024 दिनांक 01.10.2024 तथा इस कार्यालय के पत्र सख्या 1275/एन0जी0टी0–194/2024 दिनांक 29.08.2024 एवं पत्र संया 1494/एन0जी0टी0–194/2024 दिनांक 20.09.2024 का सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 659/2023 आशीष रावल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 के क्रम में कार्यालय द्वारा दिनांक 28.08.2024 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत पार्क में मेले का आयोजन किये जाने से हुयी क्षति सम्बन्धी विवरण एवं उक्त के पार्क के जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्ययोजना सहित विवरण उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में अपर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम के पत्र संख्या 115/न0आ0/2024–25 दिनांक 27.09.2024 के माध्यम से सूचनाऐं इस कार्यालय में प्राप्त हुयी है(छायाप्रति संलग्न), जिनका अवलोकन किया गया एवं तथ्य निम्नवत् है:–

1. पत्र में उल्लेखित है कि बाउण्ड्री बाल के समीप स्थित वाकिंग पाथ नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2019–20 में बनाया गया था, परन्तु वाकिंग पाथ के क्षतिग्रस्त होने सम्बन्धी कारण नही दिया गया है।
2. पार्क के अन्दर स्थित पाये गये 05 सूखे वृक्षों को उद्यान विभाग द्वारा पार्क से हटवाये जाने से अवगत कराया गया है, परन्तु वृक्षो के क्षतिग्रस्त होने सम्बन्धी कारण सूचित नही है।
3. पार्क के रख–रखाव/जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्य योजना के सम्बन्ध में अवगत नही कराया गया है।
4. उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्नगत पार्क की भूमि पर ठेकेदार श्री कृष्णकान्त राघव पुत्र स्व श्री हुकुम सिंह निवासी 284, कडकड मॉडल, साईट–4, साहिबाबाद पुलिस स्टेशन, लिक रोड, गाजियाबाद द्वारा सर्कस व मेला का आयोजन अवैध रूप से किये जाने के कारण हुई पार्क की क्षति हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं पार्क का जीर्णोद्धार किये जाने सम्बन्धी याचिका दाखिल की गयी है। अतः याचिका में वर्णित तथ्यों की सत्यता के बारे में सूचित नही है तथा साथ ही यदि मेले का आयोजन किये जाने हेतु नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को अनुमति प्रदान की गयी है तो विवरण वाछिंत है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर सूचनाऐं इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें, जिससे कि तद्नुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष तथ्यात्मक रिपार्ट ससमय दाखिल की जा सकें। अग्रेतर संदर्भित प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष दिनांक 27.11.2024 को सुनवाई हेतु पुनः सूचीबद्ध है।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित (एम0ए0 संख्या 67 / 2024) ओ0ए0 संख्या 659 / 2023 आशीष रावल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मे पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक याचिकाकर्ता श्री आशीष रावल द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित (एम0ए0 संख्या 67 / 2024) ओ0ए0 संख्या 659 / 2023 आशीष रावल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भूखण्ड संख्या ए–46, ग्राम कड़कड़ मॉडल साईट–4 औधोगिक क्षेत्र, साहिबाबाद गाजियाबाद पर स्थित पार्क की भूमि पर ठेकेदार श्री कृष्णकान्त राघव पुत्र स्व0 श्री हुकुम सिंह, निवासी 284, कड़कड़ मॉडल साईट–4 साहिबाबाद, पुलिस स्टेशन, लिंक रोड, गाजियाबाद द्वारा सर्कस व मेला का आयोजन अवैध रूप से किये जाने के कारण हुई पार्क की क्षति हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं प्रश्नगत पार्क का जीर्णोउधार किये जाने सम्बन्धी दाखिल की गयी है।

मा0 राष्टीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2024 के अनुपालन मे अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अद्यतन निरीक्षण दिनांक 14.11.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य् निम्नवत है:–

1. पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के समीप वाकिंग पाथ स्थित है, जो कि विभिन्न जगहों पर क्षतिग्रस्त पाया गया।
2. पार्क के मैन गेट के समीप बाउण्ड्रीवाल से लगा हुआ है। नगरीय ठोस अपशिष्ट अव्यवस्थित रूप से डम्प पाया गया।
3. उक्त पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के किनारे जगह–जगह पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्र / डम्प पाया गया तथा साफ–सफाई व्यवस्था उचित नही पाई गई।
4. वर्तमान परिदृश्य मे उक्त पार्क का रख–रखाव संतोषजनक स्थिति मे नही है।
5. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्वत है:–

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पूर्व निरीक्षण दिनांक 28.08.2024 मे इंगित कमियों के निराकरण के सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नही की गयी है एवं स्थिति यथावत है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(डी0डी0 वर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(एन0के0 पाण्डेय)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure – V 23

ANNEXURE- 6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: एच 20048/सी–1/NGT-230/2024 दिनांक: 25/11/2024

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाज़ियाबाद।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम.ए. संख्या: 67/2024 इन ओ.ए. संख्या: 659/2023, आशीष रावल बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, में पारित आदेश दिनांक: 14.08.2024 के अनुपालन में नगरीय ठोस अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में।

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम.ए. संख्या: 67/2024 इन ओ.ए. संख्या: 659/2023, आशीष रावल बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, में पारित आदेश दिनांक: 14.08.2024 में सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भूखण्ड संख्या–ए–46, ग्राम–कड़कड़ मॉडल साईट–4, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद में स्थित रामलीला पार्क की भूमि पर ठेकेदार श्री कृष्णकान्त राघव पुत्र स्व0 श्री हुकुम सिंह, निवासी 284, कड़कड़ मॉडल साईट–4, साहिबाबाद, पुलिस स्टेशन लिंक रोड, गाज़ियाबाद द्वारा सर्कस व मेला का आयोजन अवैध रूप से किये जाने के कारण हुई पार्क की क्षति हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए पार्क का जीर्णोद्धार मूल रूप में किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

"......3. In pursuance of the aforesaid direction the Member Secretary, UPPCB was required to take necessary action for restoration of park and take action against the person responsible for causing the damage to the park. In the report submitted by Member Secretary, UPPCB there is no mention about the damages if caused to the park and restoration/protection of the park and the action taken against the person responsible causing damage to the park.

......."

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक: 14.08.2024 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाज़ियाबाद के अधिकारियों द्वारा दिनांक: 14.11.2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाये गये मुख्य तथ्य निम्नवत् हैं:–

1. पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के समीप वाकिंग पाथ स्थित है, जोकि विभिन्न जगहों पर क्षतिग्रस्त पाया गया।
2. पार्क के मेन गेट के समीप बाउण्ड्रीवाल से लगा हुआ नगरीय ठोस अपशिष्ट अव्यवस्थित रूप से डम्प पाया गया।
3. उक्त पार्क के अन्दर बाउण्ड्रीवाल के किनारे जगह–जगह पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्र/डम्प पाया गया तथा साफ–सफाई व्यवस्था उचित नहीं पायी गयी।
4. वर्तमान परिदृश्य में उक्त पार्क का रख–रखाव संतोषजनक स्थिति में नहीं है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या– 1357(ई), दिनांक: 08.04.2016 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 अधिसूचित है, जो

दिनांकः 08.04.2016 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना के नियम–15 में नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण किया जाना प्राविधानित है।

अतः माननीय अधिकरण द्वारा निर्गत आदेश दिनांकः 14.08.2024 में जारी निर्देशों के अनुपालन में किये गये निरीक्षण की आख्या दिनांकः 14.11.2024 में पायी गयी कमियों तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. यह कि भूखण्ड संख्या–ए–46, ग्राम–कड़कड़ मॉडल साईट–4, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद में स्थित रामलीला पार्क में बाउण्ड्रीवाल के किनारे जगह–जगह पर एकत्र/डम्प नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुरूप निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाये।
2. यह कि भूखण्ड संख्या–ए–46, ग्राम–कड़कड़ मॉडल साईट–4, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद में स्थित रामलीला पार्क में स्थित क्षतिग्रस्त वाकिंग पाथ की मरम्मत करायें।
3. यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा एम.ए. संख्याः 67/2024 इन ओ.ए. संख्याः 659/2023, आशीष रावल बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, में पारित आदेश दिनांकः 14.08.2024 के अनुपालन में भूखण्ड संख्या–ए–46, ग्राम–कड़कड़ मॉडल साईट–4, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद में स्थित रामलीला पार्क का जीर्णोद्धार तत्काल करायें।

sk
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि माननीय अधिकरण द्वारा निर्गत आदेश दिनांकः 14.08.2024 के अनुपालन हेतु अपने स्तर से संबंधित को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाज़ियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकः 14.08.2024 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

sk
सदस्य सचिव